संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़
विभागाध्यक्ष भवन, ब्लॉक एक, तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ : 1–187 / 2016 / विज्ञप्त / 1389 नया रायपुर, दिनांक : 07 / 11 / 2017

::–आदेश–::

छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं की विज्ञप्ति क्रमांक एफ 1–187 / 2015 / विज्ञप्त / 2319, दिनांक 15.11.2016 एवं क्रमांक एफ 1–187 / 2015 / विज्ञप्त / 2326, दिनांक 18.11.2016 के अनुक्रम में माह अक्टूबर–2017 के दौरान प्राप्त होने वाले आनलाईन आवेदनों एवं दिनांक 06.11.2017 को प्राप्त होने वाले ऑफलाईन आवेदनों का माह नवम्बर–2017 के प्रथम शनिवार दिनांक 04.11.2017 को शासकीय अवकाश होने के कारण दिनांक 06.11.2017 (सोमवार) को संविदा नियुक्ति हेतु साक्षात्कार (WALK-IN-INTERVIEW) में अनुबंधित उम्मीद्वार द्वारा भी संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उपस्थित अभ्यार्थी की योग्यता अर्हता संबंधी दस्तावेजों का परीक्षण उपरान्त चयन समिति के अनुशंसा अनुरुप संविदा नियुक्ति के लिए पात्र निम्न उम्मीवार को (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 एवं विज्ञापन में वर्णित प्रावधान अनुसार नीचे दर्शित शर्तो पर दो वर्ष के ग्रामीण सेवा हेतु संविदा पद पर पदस्थ किया जाता हैः–

क्रं.	अभ्यार्थी का नाम	पिता का नाम	वर्ग	पत्र व्यवहार का पता	शैक्षणिक योग्यता	पदस्थापना स्थल
1	2	3	4	5	6	7
1	विनोद कुमार	श्री माखन लाल	अ.पि.व.	ग्राम. उरलदा, पोस्ट सरवानी तह. खरसिया, जिला रायगढ़ (छ.ग.)	एम.बी.बी. एस.	सामु. स्वा. केन्द्र नवागढ़, जिला जांजगीर

उपर्युक्त नियुक्ति निम्नांकित शर्तो के अधीन होगी :–

1. संविदा नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई होगी।
2. छ.ग. शासन के संविदा भर्ती नियम (छ.ग. सिविल सेवा) संविदा नियुक्ति नियम 2012 के अंतर्गत नियुक्ति किया जावेगा।
3. संविदा सेवा नियुक्ति के नियम 2012 एवं विज्ञापन पर प्रसारित शर्तो के अधीन नियंत्रित व शासित होंगे।
4. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के कंडिका–15 की (अन्य शर्ते) लागू होगी।
5. प्रतिमाह एक मुश्त मानदेय होगाः–

   चिकित्सा अधिकारी (एम.बी.बी,एस,योग्यता धारी) संविदा नियुक्त को एक मुस्त देय राशि का विवरण इस प्रकार है :– सामान्य क्षेत्र अन्तर्गत रुपये 45,000 / – अनुसूचित क्षेत्र की स्वास्थ्य संस्थाओं में रुपये 55,000 / – देय होगी।

6. कर (टी.डी.एस.) की कटौती नियमानुसार की जावेगी।
7. संविदा सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह एक मुश्त मानदेय व अन्य राशि प्रावधानित अनुसार देय होगी, इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का भत्ता/सुविधा देय नहीं होगा।
8. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में 18 दिनांक का आकस्मिक अवकाश एवं 03 दिनों का ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी। वर्ष के मध्य में नियुक्त होने अथवा आधार पर किया जावेगा। गणना में अपूर्ण दिवस को आगामी पूर्ण दिवस में पूर्णाकित किया जावेगा। विश्रामावकाश विभागों में कैलेण्डर वर्ष का तात्पर्य 12 माह के वास्तविक सेवा से लगाया जावेगा। संविदा नियुक्ति एक बार में 01 वर्ष के लिए ही की जा सकती है।
9. संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का मानदेय देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
10. सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा शासकीय सेवक के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार का पेंशन, उपादान या मृत्यु लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
11. चयनित अभ्यार्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण करते समय जिला मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य उपयुक्तता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
12. कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् नियुक्त कर्मचारी को पदस्थापना स्थल पर ही मुख्यालय बनाकर निवास करना होगा, किसी भी परिस्थिति में मुख्यालय के अतिरिक्त अन्यत्र स्थानों से आना–जाना अनुमत्य नहीं होगा तथा ऐसा पाये जाने पर आवश्यक उचित कार्यवाही की जावेगी।
13. संविदा पर नियुक्त अधिकारी का वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रत्येक वर्ष जिला नियंत्रण अधिकारी द्वारा किया जावेगा, इसका प्रतिवेदन आवश्यकतानुसार जिला स्वास्थ्य नियंत्रण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।
14. संविदा नियुक्ति समान्यतः स्वीकृत कार्ययोजना की स्वीकृति के अनुसार दो वर्ष के लिये होगी। विभाग आवश्यकता के आधार पर कार्य का मूल्यांकन (Prefomance Appraisal) कर निर्धारित मापदण्डों में ऊपर होने पर संविदा पर कार्यरत अधिकारी की उपयुक्तता का आंकलन कर संविदा नियुक्ति की अवधि को एक बार में एक वर्ष के लिए बढ़ाते हुये कार्य की अवधि में नवीनीकरण का निर्णय शासन ले सकेगा। संविदा नियुक्ति की अवधि समाप्ति पर संविदा सेवा स्वमेव समाप्त मानी जावेगी। इसके लिए पृथक से सूचना नहीं दी जावेगी।
15. जिला में पदस्थापना के दौरान संविदा नियुक्त अधिकारी को संविदा शर्तो के तहत् नियुक्तिकर्ता/नियत्रंणकर्ता के साथ अनुबंध करना होगा। संविदा नियुक्ति आदेश जारी होने पर संविदा पर नियुक्ति व्यक्ति को प्रथम नियुक्ति स्थल एवं पदस्थापना उपरांत किसी अन्य स्थल/पद पर स्थानांतरण मात्र से कोई नवीन करार निष्पादित करना आवश्यक नहीं होगा।
16. कलेक्टर कार्यालय द्वारा जारी आदेश एवं निर्देशों का पालन आपके द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा, एवं उच्चकार्यालय द्वारा समय–समय पर दी जाने वाली सुविधाएँ लागू होगी।

17. नियुक्ति आदेश प्राप्ति उपरांत अपनी पदांकन स्थल में 15 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा संविदा नियुक्ति स्वमेव समाप्त माना जावेगा।
18. नियुक्त/शर्तो में शिथलीकरण का अधिकार आयुक्त स्वास्थ्य सेवाऐं छत्तीसगढ़ रायपुर को होगा।
19. छत्तीसगढ़ मेडिकल कॉउसिल से रजिस्ट्रेशन तीन माह के अंदर संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवााऐं (विज्ञप्त शाखा) एवं अपने जिला नियंत्रण कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। यदि निर्धारित समय सीमा में पंजीयन प्रस्तुत करने में किन्हीं कारणों से असमर्थ रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रदान की जा रही संविदा सेवाऐं स्वयंमेव समाप्त हो जावेगी, इसके लिए पृथक से आदेश की आवश्यकता नहीं होगी।

संचालक
स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़

पृ0क्रमांक एफ : 1–187/2016/विज्ञप्त/ नया रायपुर, दिनांक : /11/2017

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निज सहायक, मान. मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर।
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें बिलासपुर छत्तीसगढ़।
4. कलेक्टर, जांजगीर छत्तीसगढ़।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जांजगीर छ.0ग0।
6. कोषालय अधिकारी जांजगरी छ0ग0।
7. संबंधित खण्ड चिकित्सा अधिकारी सामु.स्वा.केन्द्र. नवागढ़ जिला जांजगीर छ0ग0।
8. संबंधित डॉ विनोद कुमार संविदा चिकित्सक ग्राम. उरलदा, पोस्ट सरवानी तह. खरसिया, जिला रायगढ़ (छ.ग.)की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
9. आदेश फाईल।

संचालक
स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़